वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 03.10.2024

दशाश्वमेध प्लाजा संपत्ति विवाद में अपील खारिज

जंसा., वाराणसी: वीडीए की दशाश्वमेध प्लाजा (पूर्व में रेडिस मार्केट) से जुड़े संपत्ति विवाद में न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी है।

वादी हीरालाल ने नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ दशाश्वमेध स्थित दुकान नंबर 20 और 21 के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया था। इस वाद को अपर सिविल जज (जू.डि.) वाराणसी ने 27 फरवरी 2023 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया था।

अमर उजाला–दि0 03.10.2024

उधर, वीडीए में बुधवार को गांधी-शास्त्री की जयंती पर संगोष्ठी हुई। सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने गांधी के पदचिह्नों पर चलने की अपील की। नगर निगम की ओर से

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 03.10.2024

दशाश्वमेध प्लाजा विवाद की अपील खारिज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की ओर से बुधवार को विज्ञप्ति जारी की गई। इसके अनुसार दशाश्वमेध प्लाजा से पहले यहां रेडिस मार्केट था। संपत्ति से जुड़े विवाद में अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। वादी हीरालाल ने नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ दशाश्वमेध स्थित दुकान नंबर 20 और 21 के संबंध में मामला दर्ज कराया था। ब्यूरो

राष्ट्रीय सहारा–दि0 03.10.2024

दशाश्वमेध प्लाजा संपत्ति विवाद में अपील खारिज, न्यायालय ने पूर्व आदेश को किया पुष्ट

वाराणसी। वीडीए की दशाश्वमेध प्लाजा (पूर्व में रेडिस मार्केट) से जुड़े संपत्ति विवाद में न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। वादी हीरालाल द्वारा नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ दशाश्वमेध स्थित दुकान नंबर 20 और 21 के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। वादी ने संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया था, जबकि उक्त संपत्ति न तो वादी को आवंटित थी और न ही वह इसका किरायेदार था। इस वाद को अपर सिविल जज (जू.डि.), वाराणसी ने 27 फरवरी 2023 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया था। इसके बाद वादी के पुत्र लक्खी चन्द्र ने इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुरतगामी प्रथम, वाराणसी ने 29 जुलाई 2024 को अपील को खारिज करते हुए कहा कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2023 को पारित निर्णय और आदेश पूरी तरह से पुष्ट है। इस अपील के निर्णय की प्रति न्यायालय की वेबसाइट से 30 सितंबर 2024 को डाउनलोड की गई। इस फैसले के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में पूर्व निर्णय बरकरार रखा गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 03.10.2024

वीडीए ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर की संगोष्ठी

वाराणसी। गांधी के आदर्शों पर चलने और दैनिक मूल्यों को आत्मसात करने से हीं राष्ट्र का विकास सम्भव हैं। हमें उनके बताये गये मार्गो पर जहां चलने का संकल्प लेना चाहिए, वहीं उनके दैनिक मूल्यों को भी आत्मसात करने की जरूरत है। तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धासुमन दे पायेंगे और देश का निरन्तर विकास भी कर सकेंगे। यह बात वीडीए की ओर से बुधवार को सभागार में आयोजित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्र मे कही। इस दौरान अपर सचिव, संयुक्त सचिव, नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) सहित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, सुनील कुमार सिन्हा एवं महामंत्री, अभिषेक कुमार सिंह ने उन महापुरुषों के कृतित्व और व्यतित्व की चर्चा की ,वहीं उनके पद चिन्हो पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर उ.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष, प्रमोद कुमार तिवारी, महामंत्री, पी.एन. दूबे तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, राजकिशोर सिंह एवं महामंत्री, कैलाश सिंह यादव आदि लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 03.10.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण में महात्मा गॉधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया

वाराणसी।दिनांक 02 अक्टूबर, 2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण में गॉधी जयन्ती के पुनीत अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण में महात्मा गॉधी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव, वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता मे समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एक संगोष्ठी भी आयोजित की गयी, जिसमें सचिव महोदय सहित अपर सचिव, संयुक्त सचिव, नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) सहित कर्मचरारी संघ के अध्यक्ष, सुनील कुमार सिन्हा एवं महामंत्री, अभिषेक कुमार सिंह द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये एवं महात्मा गॉधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्श विचारों व दैनिक मूल्यों को आत्मसात एवं उनके बताये गये धारणाओं व पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष, प्रमोद कुमार तिवारी, महामंत्री, पी0एन0 दूबे तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, राजकिशोर सिंह एवं महामंत्री, कैलाश सिंह यादव इत्यादि उपस्थित रहे।

दशाश्वमेध प्लाजा संपत्ति विवाद में अपील खारिज,न्यायालय ने पूर्व आदेश को किया पुष्ट

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की दशाश्वमेध प्लाजा (पूर्व में रेडिस मार्केट) से जुड़े संपत्ति विवाद में न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। वादी हीरालाल द्वारा नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ दशाश्वमेध स्थित दुकान नंबर 20 और 21 के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। वादी ने संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया था, जबकि उक्त संपत्ति न तो वादी आवंटित थी और न ही वह इसका किरायेदार था।इस वाद को अपर सिविल जज (जू.डि.), वाराणसी ने 27 फरवरी 2023 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया था। इसके बाद वादी के पुत्र लक्खी चन्द्र ने इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी।मा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी प्रथम, वाराणसी ने 29 जुलाई 2024 को अपील को खारिज करते हुए कहा कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2023 को पारित निर्णय और आदेश पूरी तरह से पुष्ट है। इस अपील के निर्णय की प्रति न्यायालय की वेबसाइट से 30 सितंबर 2024 को डाउनलोड की गई।इस फैसले के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में पूर्व निर्णय बरकरार रखा गया है।